

प्रिय घरेलू श्रमिक...

घरेलू श्रमिक, निम्नलिखित करने के लिए बाध्य है:

- 1- रोजगार अनुबंध में सहमत कार्य करने और सम्मानपूर्वक और सद्भावना के साथ व्यवहार के लिए।
- 2- अनुबंध में निर्धारित किए गए अनुसार, नियोक्ता के निर्देशों और आदेशों का पालन करने के लिए।
- 3- नियोक्ता और उसके परिवार के सदस्यों के पैसो, संपत्ति और गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए।
- 4- देश के कानूनों, रीती-रिवाजों और प्रथाओं का सम्मान करने के लिए।
- 5- वेतन मिलने पर या न मिलने पर, दुसरो के साथ काम न करने के लिए।

प्रिय घरेलू कामगार

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, आप नियोक्ता के धन और संपत्ति की रक्षा करने और उसके रहस्यों का खुलासा न करने के लिए बाध्य हैं।

प्रिय घरेलू कामगार

2015 के घरेलू श्रम कानून क्रमांक 68 के अनुच्छेद 13 और मॉडल रोजगार अनुबंध के खंड VI के पैराग्राफ़ 1 - घरेलू कामगार के दायित्व के अनुसार आपको सहमत कार्य का पालन करना चाहिए और नियोक्ता और उसके परिवार के सदस्यों के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए बशर्ते कि इन निर्देशों के कार्यान्वयन से घरेलू कामगार की सुरक्षा को खतरा न हो या उसकी गरिमा को ठेस न पहुँचे।

प्रिय घरेलू कामगार

मॉडल रोजगार अनुबंध के खंड VI के पैराग्राफ 1 के अनुसार, आपको देश के कानूनों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।

प्रिय नियोक्ता और घरेलू कामगार

पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में इस संबंध में जारी विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार दोनों पक्ष विवादों को निपटाने के लिए घरेलू कामगारों की भर्ती को विनियमित करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं। 2015 की संख्या 68।